


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
1	श्री शिवराजसिंह (खेल पर्यवेक्षक) जिशिअ मा0 कोटा	अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2018	राउमावि दादाबाड़ी, कोटा में शाशि-1 के रिक्त पद से
2	श्री बजरंग लाल खरेडिया (योग प्रशिक्षक) जिशिअ मा0 कोटा	अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2018	राउमावि रामपुरा, कोटा में शाशि-1 के रिक्त पद से
3	श्री आसुराम, व्याख्याता (भूगोल) राउमावि. पालडी सोलंकियान, जालोर	जून 2018	राउमावि. सांचोर में व्याख्याता के रिक्त पद से

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:— शिविरा/मा/संस्था/सी-5/वेतनव्यवस्था/2018-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

दिनांक:—14/01/2019

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य ।
4. संबंधित कार्मिक ।
5. सिस्टम ऍनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर